

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 19, बाराबंकी।

चालानी वाद

दिनांक-09.05.2026

चालानी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उसके वाहन संबंधी चालान का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर चाहा गया।

आदेश

संबंधित चालानी वाद जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

**(दिवाकर कुमार)**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्यायालय संख्या-19, बाराबंकी।